भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4157
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

एनएफएचएस

4157. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री चंद्रशेखर साहूः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार अवयस्क दुल्हन एक पूर्ण वयस्क महिला की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं से दोगुना ज्यादा शिकार होती है और विश्व में जन्म लेने वाले बच्चों में 11 प्रतिशत का जन्म किशोरावस्था की माताओं से है और यह समूह 23 प्रतिशत बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने भी 2015-16 की रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि 26.8 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, यदि हां, तो क्या वर्तमान में भारत में बाल विवाह वैध है;
(ग) क्या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके तहत बाल विवाह केवल दोनों पक्षों की सहमति की स्थिति में उल्लंघनीय है और क्या उस कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो बाल विवाह को जारी रखने की अनुमति देता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : जी हां । पैंसठवीं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के कारण बालिकाएं जल्दी गर्भाधान और बच्चे के जन्म संबंधी गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की चपेट में ज्यादा आ जाती हैं । इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुसार, कम उम्र में पहला गर्भाधान जोखिमयुक्त होता है । यद्यपि विश्व में जन्म लेने वाले 11% बच्चों का जन्म किशोरावस्था की माताओं से है, वे (विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष के संद्रभ में) सभी आयु की महिलाओं में गर्भाधान तथा बच्चे को जन्म देने के कारण होने वाली समग्र बीमारियों के 23% के लिए उत्तरदायी हैं । निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 15-19 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण गर्भाधान तथा बच्चे को जन्म देने में आई जटिलताएं है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 253 मिलियन किशोरों तक पहुंचने के लिए 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) का शुभारंभ किया । राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के छह जरूरी घटकों में से एक घटक है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरके), जिसके अंतर्गत समुदाय तथा सुविधाजनक स्तर के

हस्तक्षेप द्वारा जागरूकता पैदा करने तथा सूचना का प्रावधान शामिल है, ताकि जल्दी विवाह और किशोर अवस्था में गर्भाधान को रोका जा सके ।

(ख) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 26.8% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु में पहुंचने से पूर्व ही कर दिया जाता है । विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक विवाह, जो 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के बीच हुआ है, को अनुबंधकर्ता के विकल्प पर अमान्य किया जा सकता है, यदि वे वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व न्यायालय में अर्जी देते हैं ।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' में संशोधनों पर विचार करने के लिए अंत: मंत्रालयी परामर्श शुरू किया है । हालांकि, संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार किए जाने और सभी हितधारकों के साथ परामर्श किए जाने की आवश्यकता है ।

*****